# कार्यपालक अभियंता का कार्यालय, पथ निर्माण विभाग
## पथ प्रमंडल, मुंगेर।

### अल्पकालीन निविदा आमंत्रण सूचना

1. विज्ञापन दाता का नाम – कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, मुंगेर
2. परिमाण विपत्र की बिक्री की तिथि एवं समय – 09.09.2013 से16.09.2013 तक के 1:00 बजे अपराहन् तक
3. निविदा प्राप्ति की तिथि एवं समय –17.09.2013 के 3:00 बजे अपराहन् तक
4. निविदा खोलने की तिथि एवं समय –17.09.2013 के 3:30बजे अपराहन् के बाद
5. परिमाण विपत्र बिक्री एवं निविदा प्राप्ति का स्थान
   1. कार्यपालक अभियंता,पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमंडल, मुंगेर का कार्यालय
   2. सहायक अभियंता, पथ निर्माण विभाग, पथ अवर प्रमंडल, खड़गपुर का कार्यालय

कार्य का विवरण :–

| क्र0 स0 | कार्य का नाम | प्राक्कलित राशि | अग्रधन की राशि | परिमाण विपत्र का मूल्य | कार्य समाप्ति की अवधि |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| I. | पथ प्रमंडल, मुंगेर अंतर्गत जमुई–लक्ष्मीपुर–खड़गपुर–बरियारपुर पथ (SH- 72) के कि0मी0 37वें में अवस्थित आर्च पुलिया के आपात्कालीन मरम्मति कार्य वर्ष 2013–14 | ₹ 98710.00 | ₹ 2000.00 | ₹ 500.00 | एक सप्ताह |

विशेष जानकारी के लिए कार्य अवधि में अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है।

अन्य शर्त्तेः– पुनरीक्षित PWD Code Vol. I Rule 6 के आधार पर

1. अग्रधन की राशि – 6 वर्षीय राष्ट्रीय बचत प्रमाण– पत्र आठवॉ निर्गम/डाकघर जमा 3 वर्षीय या 5 वर्षीय सावधिक जमा/फिक्सडिपोजिट के रूप में पासबुक जो निविदा की तिथि से छः माह के अंदर बिहार राज्य के डाकघर से क्रय किया हो। लेकिन इसकी वैधता कार्यावधि तथा डिफेक्ट लाईवलिटि की अवधि को अंतर्गत हो, एवं जो कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमण्डल, मुंगेर के पदनाम से प्रतिज्ञित (प्लेज) होना चाहिए।
2. पथ निर्माण विभाग में चतुर्थ श्रेणी (स्थानीय अभिकर्त्ता श्रेणी) में निबंधन प्रमाण–पत्र (अद्यतन नवीकृत), कार्य आवंटित होने पर अद्यतन लेवर लाईसेंस (श्रमिक लाईसेंस नवीकरण प्रमाण–पत्र जो पथ प्रमंडल, मुंगेर के लिए निर्गत हो), वाणिज्यक/बैट निबंधन प्रमाण–पत्र, आयकर चुक्ता प्रामण–पत्र, अद्यतन चरित्र प्रमाण–पत्र फार्म के मामले में पार्टनरशीप डीड यंत्र–संयत्र एवं अन्य उपकरण की सूची एवं संबंधित प्रमाण–पत्र आदि संलग्न हो। सभी प्रमाण–पत्र अद्यतन एवं सक्षम पदाधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित होना चाहिए।
3. कार्य के परिमाण विपत्र में अंकित दर से प्रतिशत के रूप में अधिक बराबर या कम दर अंकित करना है (ध्यान रहे कि कार्य के परिमाण विपत्र में अंकित विभागीय दर से 15 पन्द्रह प्रतिशत से कम दर की निविदा मान्य नहीं होगी) दर को अंको के साथ–साथ शब्दो में भी अंकित करना है।
4. यह कार्य पथ निर्माण विभाग में चतुर्थ श्रेणी (स्थानीय अभिकर्त्ता श्रेणी) में निबंधित संवेदको को आवंटित किया जायेगा।
5. परिमाण विपत्र प्राप्त करने हेतु आवेदन के साथ निम्नांकित अभिलेखों की छाया प्रति राजपत्रित पदाधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा। पथ निर्माण विभाग में चतुर्थ श्रेणी (स्थानीय अभिकर्त्ता श्रेणी) में अद्यतन नवीकृत निबंधन प्रमाण–पत्र, अद्यतन आयकर सफाया प्रमाण–पत्र, अद्यतन वाणिज्यकर/वैट निबंधन एवं चरित्र स्वच्छता प्रमाण–पत्र।
6. परिमाण विपत्र का मूल्य जो लौटाया नही जायेगा, भारतीय स्टेट बैंक या किसी राष्ट्रीयकृत बैंक का बैंक ड्राफ्ट जो कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमंडल, मुंगे के पदनाम से निर्गत हो तथा मुंगेर स्थित भारतीय स्टेट बैंक या किसी राष्ट्रीयकृत बैंक के शाखा में भुगतेय हो।
7. निर्माण सामाग्रीयों के दरों में बढ़ोतरी के लिए कोई अतिरिक्त दावा मान्य नही होगा।
8. पुल/पुलिया/पी० सी० सी० कार्य में छड़ सीमेन्ट की व्यवस्था संवेदक को स्वयं करनी है। छड़ सीमेन्ट क्रय करने का प्रमाण–पत्र कार्यपालक अभियंता को प्रस्तुत करना होगा तथा कार्य में छड़ सीमेन्ट प्रयोग करने के पूर्व गुण–नियंत्रण जाँच प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी संवेदक की होगी। छड़ सीमेन्ट की गुणवत्ता आई० एस० आई० मानक विशिष्टियों के अनुरूप होगी।
9. निविदादाताओं द्वारा परिमाण विपत्र क्रय करने के पूर्व कार्यस्थल, प्राक्कलन, क्वैरी की स्थिति एवं निर्माण सामाग्रियों की उपलब्धता से संतुष्ट होने के पश्चात् ही निविदा जमा करने का परामर्श दिया जाता है, इस संबंध में बाद में किसी प्रकार का दावा मान्य नहीं होगा।
10. आवंटन उपलब्ध होने पर ही भुगतान किया जायेगा।
11. सशर्त्त निविदा अमान्य होगी।
12. बिना कारण बताये किसी कार्य की निविदा को रद्द करने या एक से अधिक निविदादाताओं के बीच कार्य बाटने का अधिकार सक्षम पदाधिकारी के पास सुरक्षित रहेगा।
13. प्राक्कलित राशि में कमी या वृद्धि हो सकती है। तदनुसार अग्रधन की राशि में कमी या वृद्धि होगी।

14. संवेदकों के द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति को जिनका फोटो एवं हस्ताक्षर संवेदक द्वारा अभिप्रमाणित रहेगा उन्हें ही परिमाण विपत्र निर्गत किया जायेगा।
15. विशेष जानकारी के लिए अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में कार्य अवधि में सम्पर्क किया जा सकता है।
16. किसी भी परिस्थिति में समय वृद्धि देय नही होगा।
17. निविदाकारों द्वारा जमा किये गये अग्रधन की राशि पर किसी प्रकार का सूद विभाग द्वारा देय नहीं होगा।
18. संवेदकों को M & N फार्म विपत्र के साथ जमा करना होगा।
19. गुणवत्ता की जाँच संवेदक के गुण नियंत्रण प्रयोगशाला अथवा विभागीय प्रयोगशाला में करायी जाएगी जिसका व्यय संवेदक को वहन करना होगा।

ह०/-
कार्यपालक अभियंता
पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमंडल, मुंगेर

ज्ञापांकः– 926 (7) दिनांकः – 07.09.2013

प्रतिलिपिः– जिला पदाधिकारी, मुंगेर/कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, मुंगेर/कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, मुंगेर/कार्यपालक अभियंता, जिला शहरी विकास अभिकरण, मुंगेर/सहायक अभियंता, पथ अवर प्रमंडल, खड़गपुर/ सूचना एवं जनसंपर्क पदाधिकारी, मुंगेर/जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, NIC मुंगेर को सूचनार्थ समर्पित एवं नोटिस बोर्ड पर।

कार्यपालक अभियंता
पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमंडल, मुंगेर
7/09/13

(7)